निग० 5209/2018/शहडोल/भू.रा.

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कोर्ट कैम्प-रीवा, जिला-रीवा (म0प्र0)

20रु. Rs.20 विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित बीस रुपये TWENTY RUPEES

नारेन्द्र सोनी पिता स्व.श्री कमलाप्रसाद सोनी, उम्र 59 वर्ष, पेशा-कृषि, निवासी सोहागपुर वार्ड नं.2, तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल (म0प्र0)

-----निगरानीकर्ता

अधि० श्री कमलेश्वर तिवारी द्वारा पेश। 25-8-18

बनाम

(1) अजीज अली तनय आबाद अली, बगैरह निवासी सोहागपुर, वार्ड नं.5, तहसील सोहागपुर, जिला-शहडोल (म0प्र0)

(2) कलेक्टर महोदय, जिला-शहडोल (म0प्र0)

----गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बावत् अपर कमिश्नर महोदय, शहडोल संभाग शहडोल के राजस्व प्रकरण क्रं.427 अपील 2012-13, निर्णय दिनांक 5/4/2018 के विरूद्ध निगरानी।

आवेदन-पत्र बावत् धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.=

महोदय,

निगरानी के आधार निम्न है :-

(1) यह कि भूमि नं.760/1, रकबा 0.061 स्थित ग्राम सोहागपुर तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल में निगरानीकर्ता के पिता स्व. कमला प्रसाद सोनी ने अवैधानिक तरीके से किये जा रहे कब्जे में रोक लगाने हेतु कलेक्टर महोदय, शहडोल के यहाँ आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था तथा आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया था कि म0प्र0 सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनिमय अधिनियम 1984 के अन्तर्गत कलेक्टर महोदय से अनुमति लिये बगैर मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है जो विधि संगत नहीं है। जिससे रोक लगाया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्योंकि अतिक्रमित भूमि नं. 760/1 रकबा 0.061 आम निस्तार की है। जिससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देशित व आदेशित किया गया कि उक्त निर्माणकर्ता कलेक्टर महोदय

क्रमशः:2-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0 .**निग0/5200/शहडोल/2018**

जिला– **शहडोल**

नरेन्द्र सोनी वगैरः/ अजीज अली वगैरः

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक नरेन्द्र सोनी तथा उनके अभिभाषक श्री कमलेश तिवारी अनुपस्थित। 3. प्रकरण में निगरानी मेंमो मय संलग्न अभिलेखो का अध्ययन किया गया। अपर कमिश्नर, शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 417/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 05.04.18 का अध्ययन किया। 4. म0प्र0 शासन सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनिमय अधिनियम 1984 धार्मिक स्थान के निर्माण के लिये कलेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक है। जिसके तहत ही कलेक्टर ने दिनांक 16.07.03 के आदेश से गैर निगरानीकर्ता कों निर्माण करने से पूर्व अनुमति लेने हेतु निर्देश किया है। 5. अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 05.04.18 में विस्तार से वर्णन किया है, जिससे यह न्यायालय सहमत है। अत: प्रस्तुत निगरानी इसी स्तर पर आग्रहय की जाती एवं कलेक्टर, शहडोल आदेश दिनांक 16.03.03 एवं अपर कमिश्नर के आदेश दिनांक 05.04.18 में किसी हस्ताक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। (आर.के. जैन) सदस्य 15/2/19	